भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
लोक उद्यम विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 2132

दिनांक 15 मार्च, 2021 को उत्तर देने के लिए

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित पद

2132. श्रीमती फूलो देवी नेतम:
श्री के.सी. वेणुगोपाल:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में अनुसूचित जातियों (एससी), अनुसूचित जनजातियों (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए संस्वीकृत आरक्षित पदों की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों विशेष रूप से भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (बीपीसीएल) के प्रस्तावित निजीकरण और विनिवेश से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों में कमी आएगी और यदि हां, तो पदों की संख्या में हुई कमी का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार के पास यह सुनिश्चित करने हेतु कोई योजना है कि केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विशेष रूप से बीपीसीएल में विनिवेश के पश्चात आरक्षण को जारी रखा जाए?

उत्तर
भारी उद्योग एवं लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क): उपलब्ध जानकारी के अनुसार, दिनांक 31.03.2020 को संचालित केंद्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सीपीएसईज़) में अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) कर्मचारियों की कुल संख्या इस प्रकार है:

कर्मचारियों की कुल संख्या (31.03.2020 तक)	**संचालित सीपीएसईज़ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व (31.03.2020 तक)**					
	एससी (संख्या में)	%	एसटी (संख्या में)	%	ओबीसी (संख्या में)	%
9,19,648	1,60,384	17.44	99,693	10.84	1,98,581	21.59

(ख) और (ग): विनिवेश मामलों के लिए नोडल विभाग होने के नाते निवेश एवं लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने बताया है कि आरक्षण नीति केवल सरकारी कंपनियों में ही लागू है और भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) के कार्यनीतिक विनिवेश के बाद यह सरकारी कंपनी नहीं रहेगी।

****